



दिनांक:- 16.08.2026

-प्रेस नोट-
ऑपरेशन सवेरा

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करो के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही

थाना बेहट पुलिस का मादक पदार्थों की तस्करी पर करारा प्रहार — 02 शातिर नशा तस्कर

अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से कुल 804 ग्राम अवैध स्मैक पाऊंडर (जिसकी

अन्तराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 04 करोड 10 लाख रुपये) व 01 बुलेरो कार, 01

इलेक्ट्रॉनिक कांटा व 2 मोबाइल फोन बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन सवेरा” के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण 1- तालिब पुत्र सलीम निवासी ग्राम असगरपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर व 2- अमित उर्फ अनित पुत्र कटारसिंह निवासी ग्राम बुठेडा थाना सरसावा जिला सहारनपुर को गंदेवड अड्डे से चिलकाना की ओर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 804 ग्राम स्मैक पाऊंडर, 01 बोलरे कार, 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 02 मोबाइल फोन बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना बेहट पर मु0अ0सं0 335/2026 धारा 8/21/60(3) एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता:-

- 1- तालिब पुत्र सलीम उर्फ सालिम निवासी ग्राम असगरपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
- 2- अमित उर्फ अनित पुत्र कटार सिंह निवासी ग्राम बुठेडा थाना सरसावा जिला सहारनपुर

अभियुक्त तालिब उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 01/2021 धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 200/2021 धारा 8/21/29 NDPS एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 291/2025 धारा 8/20/29 NDPS एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

अभियुक्त अमित उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1- मु0अ0सं0 404/2022 धारा 8/21/29/60 NDPS एक्ट थाना सरसावा जिला सहारनपुर
- 2- मु0अ0सं0 386/2019 धारा 323/452/504/506 IPC थाना सरसावा जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 804 ग्राम अवैध स्मैक
- 01 बुलेरो कार नं0- UP17H2298 (तस्करी में प्रयुक्त)
- 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा
- 02 मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री बलवीर सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री धीरज सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. है0का0 357 अनुज कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. है0का0 902 गोविन्द सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
6. है0का0 1058 राहुल राणा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
7. है0का0 507 गौरव राणा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
8. का0 05 उमंग राठी थाना बेहट जनपद सहारनपुर



दिनांक: 16.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री/पटाखें बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर सहारनपुर के निर्देशन में अवैध पटाखा फैक्ट्री व अवैध पटाखा बनाने वालों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मिर्जापुर श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 15.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 01 अभियुक्त जुल्फकार उर्फ रोकी पुत्र सैय्यद जब्बार निवासी ग्राम पिपलेडा गुलावटी रोड थाना धौलाना जिला हापुड को 27 कट्टे हरे रंग के सूतली बम- वजन करीब 233.950 किग्रा, 01 कट्टा बड़ा सूतली बम बनाने के कागज के रैंपर-वजन करीब 04 किग्रा, 08 अदद हरे रंग की सूतली के छोटे बड़े गट्टे व 01 अदद लाल रंग की सूतली का गट्टा- वजन करीब 23.500 किग्रा) सहित ग्राम फतेहपुर थाना क्षेत्र मिर्जापुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 240/26 धारा 125 बीएनएस व 5 विस्फोटक अधिनियम के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

जुल्फकार उर्फ रोकी पुत्र सैय्यद जब्बार निवासी ग्राम पिपलेडा गुलावटी रोड थाना धौलाना जिला हापुड

बरामद सामग्री का विवरण (विस्तृत):

- 27 कट्टे जिसमें हरे रंग के सूतली बम जिसका कुल वजन 233.950 किग्रा0
- 01 कट्टा बड़ा सूतली बम बनाने के कागज के रैंपर वजन करीब 4 किग्रा0
- 08 अदद हरे रंग की सूतली के छोटे बड़े गट्टे
- 01 अदद लाल रंग की सूतला का गट्टा वजन करीब 23.500 किग्रा0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह, थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अवशेष भाटी, थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री नरेश कुमार, थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर
4. हे0का0 891 अमित राठी, थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर
5. रि0का0 1446 सुमित राघव, थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर
6. म0का0 999 वर्षा, थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर
7. म0का0 1027 वन्दना, थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर

□ **सहारनपुर पुलिस की जनता से अपील:** सहारनपुर जनपद व आसपास के क्षेत्रों में सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित रखने हेतु नागरिकों से अनुरोध करती है कि वे अवैध पटाखों/विस्फोटक सामग्री के निर्माण या बिक्री से सम्बन्धित किसी भी जानकारी के लिए तुरंत अपने नजदीकी थाना अथवा डायल-112 पर सूचित करें। अवैध विस्फोटक पदार्थों की तस्करी व निर्माण कानूनन गंभीर अपराध है और इससे जन-जीवन व संपत्ति को भारी क्षति का खतरा रहता है।



दिनांक: 16.08.2026

-प्रेस नोट-
ऑपरेशन सवेरा

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

□ **सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करो/शातिर अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही** □
थाना मिर्जापुर पुलिस का मादक पदार्थों की तस्करी पर करारा प्रहार — 01 नशा तस्कर/हिस्ट्रीशीटर
अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 122 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में **“ऑपरेशन सवेरा”** – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान **“ऑपरेशन सवेरा”** के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 15.08.2026 को समय 23.45 बजे दौराने गस्त चैकिंग थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान **01 नशा तस्कर अभियुक्त समूह पुत्र मारुफ निवासी ग्राम असगरपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को मिर्जापुर से पाडली जाने वाले रास्ते पर स्थित मदरसा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त समूह के कब्जे से 122 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 242/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। **गिरफ्तार अभियुक्त एक अभ्यस्त किस्म का शातिर अपराधी है जो थाना स्थानीय का प्रचलित हिस्ट्रीशीटर अपराधी भी है।** अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/ पता:-

समूह पुत्र मारुफ निवासी ग्राम असगरपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

122 ग्राम अवैध चरस,

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 106/2020 धारा 379/411 भादवि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 108/2020 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आयुध धि0 व 379/411 भादवि थाना मिर्जापुर
3. मु0अ0सं0 150/2020 धारा 147/148/149/188/269/307 भादवि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 190/2020 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 37/24 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

6. मु0अ0स0 110/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
7. मु0अ0स0 135/21 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
8. मु0अ0स0 142/21 धारा 3/8 गौवध अधि0थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
9. मु0अ0स0 143/21 धारा 379/411 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री चरणपाल सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ।
2. का0 2255 सोनवीर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ।
3. रि0का0 1473 अमरीश कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ।
4. रि0का0 1442 वैभव सक्सेना थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ।



दिनांक: 16.08.2026

-प्रेस नोट-
ऑपरेशन सवेरा

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

□ सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करो के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही □

थाना मिर्जापुर पुलिस का मादक पदार्थों की तस्करी पर करारा प्रहार — **01 शातिर नशा**

तस्कर/हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 112 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में **“ऑपरेशन सवेरा”** – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान **“ऑपरेशन सवेरा”** के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 16.08.2026 को समय 01.35 बजे दौरान गस्त चैकिंग थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान **01 नशा तस्कर अभियुक्त दानिश उर्फ भोटू पुत्र नाजिम निवासी मौहल्ला चौथाई ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को खुशहालपुर मोड पर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 112 ग्राम अवैध चरस बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 243/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त एक शातिर किस्म का अभ्यस्त अपराधी है जो थाना मिर्जापुर का प्रचलित हिस्ट्रीशीटर अपराधी भी है। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/ पता:-

दानिश उर्फ भोटू पुत्र नाजिम निवासी मौ0 चौथाई ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

112 ग्राम अवैध चरस,

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 19/2020 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

2. मु0अ0स0 33/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3. मु0अ0स0 92/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
4. मु0अ0स0 141/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
5. मु0अ0स0 236/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
6. मु0अ0स0 194/26 धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री मुकेश सोलंकी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ।
2. का0 2469 दीपक कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ।
3. का0 1666 पंकज कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ।
4. रि0का0 1474 तनुज कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ।



दिनांक: 16.08.2026

-प्रेस नोट-
ऑपरेशन सवेरा

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

□ सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करो के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही □

थाना मिर्जापुर पुलिस का मादक पदार्थों की तस्करी पर करारा प्रहार — 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 213 ग्राम अवैध चरस बरामद ,

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में **“ऑपरेशन सवेरा”** – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान **“ऑपरेशन सवेरा”** के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 15.08.2026 को समय 22.53 बजे दौरान गस्त चैकिंग थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान **01 नशा तस्कर अभियुक्त सत्तार पुत्र यूसुफ निवासी ग्राम कासमपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को पजना पुल के पास एकीकृत ठोस अपशिष्ट केन्द्र के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त सत्तार के कब्जे से 213 ग्राम अवैध चरस बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 241/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में **FORWARD AND BACKWARD** लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे हैं

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/ पता:-

सत्तार पुत्र यूसुफ निवासी ग्राम कासमपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

213 ग्राम अवैध चरस

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 19/25 धारा 115(2)/191(2)/352/351(2) बीएनएस थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
मु0अ0सं0 296/25 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री अवशेष भाटी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. का0 2017 चिराग थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. रि0का0 1453 राजाबाबू थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
4. रि0का0 1494 नितिन राठौर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।



दिनांक: 16.08.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरण: दिनांक 25.05.2026 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत विपक्षी अरशद पुत्र मेहन्दी हसन निवासी मौहल्ला सराय थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करना व अन्य अभिगण द्वारा वादिया के साथ गाली गलोच करते हुये मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देने की सूचना के संबंध में थाना देवबन्द पर मु0अ0स0- 369/2026 धारा 69/191(2)/115(2)/352/351(3) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही:- अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना देवबंद श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म के **वांछित अभियुक्त अरशद पुत्र मेहन्दी हसन निवासी मौहल्ला सराय थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर** को रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1- अरशद पुत्र मेहन्दी हसन निवासी मौहल्ला सराय थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- उ0नि0 श्री गोविन्द शरण थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
- 2- रि0का0 687 खिलेन्द्र सिंह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक -16.08.2026

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.08.2026 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त सलीम पुत्र मौहम्मद असगर निवासी मिट्टे वाली गली पानी की टकी थाना मण्डी सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सख्या 930/2026 व मु0अ0स0 480/2025 धारा 109/351(3)/352 बीएनएस एक्ट चालानी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर व ई वारन्ट को उसके मसकन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सलीम उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सलीम पुत्र मौहम्मद असगर निवासी मिट्टे वाली गली पानी की टकी थाना मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री समीर सिंह थाना मण्डी सहारनपुर
2. है0का0 235 विनित कुमार थाना मण्डी सहारनपुर
3. का0 2358 तरुण कुमार थाना मण्डी सहारनपुर



दिनांक- 16.08.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त **अनुज पुत्र ऋषिपाल निवासी मौ० जाकिर हुसैन थाना चिलकाना जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं०- 2997/23 व मु०अ०सं० 460/19 धारा 3354/354ख/504/354घ भादवि (मा० न्यायालय जे०एम० द्वितीय सहारनपुर) नियत तिथि 16.08.2026 में मौहल्ला जाकिर हुसैन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. अनुज पुत्र ऋषिपाल निवासी मौ० जाकिर हुसैन थाना चिलकाना जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी -

1. उ०नि० श्री नरेन्द्र कुमार सोलंकी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. का० 1700 दीपक कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर



दिनांक: 16.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा छेड़छाड़ के मुकदमें में 03 वांछित अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरण: दिनांक 15/8/2026 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत 1. मोहतसिम पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम मानकी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 2. कमाल पुत्र मोहतसिम निवासी ग्राम मानकी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 3. शुऐब पुत्र मोहतसिम निवासी ग्राम मानकी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया व वादिया की बहनों के साथ नशीला पदार्थ सुघांकर अर्द्धबेहोश करके गलत तरीके से छूना व मारपीट कर गाली गलौज करने की सूचना के संबंध में थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0- 590/26 धारा- 123/74/115(2)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये। आदेश के अनुपालन में में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना देवबंद श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित 03 अभियुक्तगण 1. मोहतसिम पुत्र जव्वूदा, 2. शुऐब उर्फ अता पुत्र मोहतसिम व 3. कमाल उर्फ नावेद पुत्र मोहतसिम निवासीगण ग्राम मानकी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर को ग्राम मानकी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

1. मोहतसिम पुत्र जव्वूदा निवासी ग्राम मानकी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. शुऐब उर्फ अता पुत्र मोहतसिम निवासी ग्राम मानकी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. कमाल उर्फ नावेद पुत्र मोहतसिम निवासी ग्राम मानकी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- उ0नि0 श्री लोकेन्द्र सिंह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
- 2- का0 2078 सतेन्द्र कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
- 3- का0 2253 संजय कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
- 4- रि0का0 684 सुमित कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।



दिनांक - 16.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा NBW वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री उम्मेद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान **01 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त फरमान पुत्र रशीद निवासी मोहल्ला पीरबनी कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं० 677/24 व मु०अ०स० 343/09 धारा 4/25 आर्मस एक्ट चालानी थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर (मा० न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय सहारनपुर) में मोहल्ला पीरबनी कस्बा रामपुर मनिहारान से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. फरमान पुत्र रशीद निवासी मोहल्ला पीरबनी कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ०नि० श्री ललित कुमार थाना रामपुर मनि० सहारनपुर
2. हे०का० 394 प्रवीण कुमार थाना रामपुर मनि० सहारनपुर
3. रि०आ० 1865 हिमांशु थाना रामपुर मनि० सहारनपुर



दिनांक: 16-08-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश **थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा दहेज हत्या के मुकदमे में 01 वांछित अभियुक्त को** **किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि दिनांक 04.08.2026 को वादी श्री इखलाख पुत्र लतीफ ग्राम सलेमपुर थाना नागल जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत अभियुक्तगण 1.कलीम पुत्र महफुज 2.नईम पुत्र महफुज 3. दानिश पुत्र महफुज 4. महफुज पुत्र मकसूद 5. मोमिना पत्नि महफूज 6. सना पत्नि नईम निवासीगण चौबारा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की पुत्री नाजिस उम्र करीब 22 वर्ष को अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए प्रताडित करना तथा दहेज न देने पर वादी की पुत्री की हत्या कर देना तथा मौके पर पहुँचे वादी व परिवारीजन के साथ भी मारपीट करने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 305/26 धारा 85/80(2)/115(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **मोमिना पत्नी महफूज निवासी चौबारा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को ग्राम चौबारा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय से समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मोमिना पत्नि महफूज निवासी चौबारा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री विजयपाल सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
3. रि0का0 798 जतिन कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
4. रि0म0का0 819 संस्था थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
5. रि0म0का0 821 रुपाली थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।



दिनांक 16.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अवैध छूरा सहित एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान **01 शातिर अभियुक्त शाहरुख उर्फ शहरोज पुत्र इलियास निवासी मौहल्ला अशरफ अली कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को प्रभात सिनेमा पार्किंग घण्टाघर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध छूरा बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0- 199/26, धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शाहरुख उर्फ शहरोज पुत्र इलियास निवासी मौहल्ला अशरफ अली कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 अदद अवैध छूरा

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 184/25 धारा 305(ए)/317(2)/324(3)/331(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 91/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री राकेश थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. है0का0 738 विनोद कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
3. रि0का0 1273 शिवम सागर थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।



दिनांक - 16.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री उम्मेद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.08.2026 को थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त सादिक पुत्र नूरा नि० घाटेडा थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर (सम्बन्धित वाद सं० नं० 524/19 धारा 452/323/427/504/506 भादवि चालानी थाना रामपुर मनि० जिला सहारनपुर (माननीय न्यायालय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 04 सहारनपुर) को ग्राम घाटेडा थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सादिक पुत्र नूरा निवासी घाटेडा थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ०नि० श्री राजकमल थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।
2. रि०आ० 1840 संदीप कुमरा थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।



दिनांक - 16.08.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 06 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.08.2026 को तलाश व दविश के दौरान थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा 06 वारंटी अभियुक्तगण 1.मोहन लाल पुत्र पवन कुमार निवासी ग्राम बालपुर थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर (सम्बंधित वाद संख्या 1780/22 धारा 498ए/323/504/506 भा0द0वि0 3/4 पोक्सो एक्ट चालानी थाना महिला थाना जनपद सहारनपुर) 2.अशोक पुत्र मातूराम निवासी ग्राम लखनौती कला थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर 3.श्याम लाल पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम लखनौती कला थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर (सम्बंधित 1052/24 मु0अ0स0 188/21 धारा 446 सीआरपीसी चालानी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर) 4.सालिम पुत्र खलील निवासी ग्राम घानाखण्डी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर (सम्बंधित वाद संख्या 1523/26 मु0अ0स0 514/02 धारा 323/504 भा0द0वि0 चालानी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर) 5.सैक्की पुत्र सुभाष निवासी रविदास मन्दिर के पास ग्राम पिन्जौरा थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर (सम्बंधित वाद संख्या 25/22 मु0अ0स0 420/21 धारा 398/401 भा0द0वि0 चालानी थाना को0 देहात थाना जनपद सहारनपुर) 6. गौरव पुत्र अमरेश निवासी पिंजौरा थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर (सम्बंधित वाद संख्या 25/22 मु0अ0स0 420/21 धारा 398/401 भादवि चालानी थाना देहात जनपद सहारनपुर) को इनके मसकनों से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. मोहन लाल पुत्र पवन कुमार निवासी ग्राम बालपुर थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
2. अशोक पुत्र मातूराम निवासी ग्राम लखनौती कला थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
3. श्याम लाल पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम लखनौती कला थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
4. सालिम पुत्र खलील निवासी ग्राम घानाखण्डी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
5. सैक्की पुत्र सुभाष निवासी रविदास मन्दिर के पास ग्राम पिन्जौरा थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
6. अभियुक्त गौरव पुत्र अमरेश निवासी पिंजौरा थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
2. निरीक्षक श्री अमरपाल शर्मा थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 विमल कुमार सैनी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
4. उ0नि0 संजय कुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
5. उ0नि0 अनुज कुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।

6. उ०नि० यमुना प्रसाद थाना को० देहात जनपद सहारनपुर ।
7. उ०नि० रणवीर सिंह थाना को० देहात जनपद सहारनपुर ।
8. उ०नि० विजय सिंह थाना को० देहात जनपद सहारनपुर ।
9. है०का० 526 सनोवर ताज थाना को० देहात जनपद सहारनपुर ।
10. है०का० 973 मोहित थाना को० देहात जनपद सहारनपुर ।
11. है०का० 241 कपित तोमर थाना को० देहात जनपद सहारनपुर ।
12. है०का० 526 सनोवर ताज कुमार थाना को० देहात जनपद सहारनपुर ।
13. है०का० 736 दीपक कुमार थाना को० देहात जनपद सहारनपुर ।
14. है० का० 515 राहुल कुमार थाना को० देहात जनपद सहारनपुर ।
15. का० 2106 लोकेन्द्र सिंह थाना को० देहात जनपद सहारनपुर ।



दिनांक - 16.08.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा शांति भंग करने वाले 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार चैकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक फतेहपुर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.08.2026 को 04 नफर अभियुक्तगण 1. नरेश पुत्र चन्द्रपाल सैनी 2. विजयपाल पुत्र हरपाल 3. बाबू पुत्र श्याम सिंह 4. अभिषेक पुत्र यशपाल निवासी गण ग्राम कमालपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर द्वारा पूर्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 317/26 धारा 115(2)/352/351(2)/ 196(1)बी /3(5) बीएनएस एवं मु0अ0सं0 320/26 धारा 78(2)/74 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट के द्वारा मुकदमा लिखाने को लेकर वादी मुकदमा के साथ आमदा फसाद होने के कारण शांति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण का चालान अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. नरेश पुत्र चन्द्रपाल सैनी निवासी ग्राम कमालपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
2. विजयपाल पुत्र हरपाल निवासी ग्राम कमालपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
3. बाबू पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम कमालपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
4. अभिषेक पुत्र यशपाल निवासी ग्राम कमालपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री सजल कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री अखिलेश कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 851 विपिन पाठक थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।